

कार्यालय
मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल

गोमंतिका परिसर, तृतीय तल, 12 दफ्तर रोड, जवाहर चौक, भोपाल (म0प्र0)

क्रमांक/म.प्र.न.र.कौ /17/.....

भोपाल, दिनांक: 12/12/2017

प्रति,

समस्त नवीन नर्सिंग पाठ्यक्रम खोलने वाली संस्थायें
समस्त पुरानी नर्सिंग संस्थायें जिनकी सीट्स वृद्धि हुई है।

आवश्यक सूचना

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल द्वारा वर्ष 2018-19 के लिये नवीन नर्सिंग पाठ्यक्रम खोलने वाली संस्थायें एवं पुरानी नर्सिंग संस्थायें जिनकी सीट्स वृद्धि हेतु डी.एण्ड एफ जारी किये जा रहे हैं। उनके लिये निम्न दिशा निर्देश दिये जाते हैं :-

1. डी0एण्ड0एफ प्राप्ति के पश्चात संस्था को एम.पी.ऑन लाईन के वेब-साईट पर नर्सिंग कौंसिल में जाकर Consent फार्म को भरना अनिवार्य है।
2. भरे गये फार्म के साथ संस्था का कवरींग लेटर लगाना भी अनिवार्य है।
3. जिन संस्थाओं के स्वयं / पैरेन्ट हॉस्पिटल हैं उन्हें निम्न दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:-

1. संस्था की समिति के पेपर जिसमें सदस्यों की सूची होना आवश्यक रूप से अनिवार्य है।
2. संस्था के स्वयं / पैरेन्ट हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
3. स्वयं / पैरेन्ट हॉस्पिटल का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सर्टिफिकेट।

12/12/17
रजिस्ट्रार

मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल, म0प्र0